<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 396 / 08</u> <u>संस्थापन दिनांक:-24 / 09 / 08</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000042008</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1. अनिल पिता महावीर सिंह रघुवंशी, उम्र 35 वर्ष
- 2. पंजाब सिंह पिता फक्कड़ सिंह रघुवंशी, उम्र 55 वर्ष दोनों निवासी ग्राम माथनी, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324, 325/34, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06. 09.2008 को समय 10:30 बजे ग्राम माथनी में फरियादी रामशंकर को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामशंकर की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की तथा फरियादी रामशंकर को जान से मारने की धमकी देकर देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 06.09. 2008 को 10:30 बजे अपने लड़के को बस में बैठाकर घर वापस आ रहा था तभी अभियुक्तगण ने मोटर सायिकल से पीछे से आकर उसे धक्का दिया और गाड़ी खड़ी करके हाथ मुक्के एवं लाठी से मारपीट की। मारपीठ से उसे दांयी जांघ, दांयी भुजा, सीना पर चोट आयी। अभियुक्त पंजाब ने उसका गला दबाया एवं मुंह पर मुक्के से मारा जिससे ओठ एवं दांयी आंख के नीचे चोट आयी। अभियुक्त अनिल ने उसे दांये हाथ के अंगूठे पर दांत से काट दिया। अभियुक्तगण ने उसके साथ पुरानी जमीन को लेकर विवाद किया। अभियुक्तगण ने उसे जाते जाते जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 205/08 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। आहत को पसली में फेक्चर होने पर अभियोग पत्र में धारा 325 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- क्या घटना के समय अभियुक्त अनिल ने फरियादी रामशंकर को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या घटना के समय अभियुक्तगण अनिल एवं पंजाबसिंह ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी रामशंकर को मारपीट कर घोर उपहति कारित की?
- क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 5. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी रामशंकर (अ.सा.—1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जाते जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी रामशंकर (अ.सा.—1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घाटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा

उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो।

जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का कियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल.जे. 653 अवलोकनीय है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

- 7 रामशंकर (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह गांव की तरफ जा रहा था। तभी अभियुक्तगण ने मोटर सायकिल से धक्का मारा जिससे वह गिर गया। उसके बाद अभियुक्तगण ने लात घूसे एवं लाठी से मारपीट की। अभियुक्त अनिल ने दांहिने हाथ के अंगूठे में काट दिया था तथा अभियुक्तगण ने उसकी पसली पर पैर रखा था, लात घूसों से मारा था जिससे उसे दांयी आंख के पास पसली और पैर में चोट आयी थी।
- 8 डॉ. एस.एस. कुशवाह (अ.सा.—2) ने दिनांक 06.09.08 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरदेही में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत शंकर का चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की दांहिने जांघ पर सामने की तरफ मिड पार्ट पर 4 गुणा 1 सेमी. आकार की, सीने पर दांहिनी तरफ 6 गुणा 1 सेमी. आकार आकार की, दांहिने गाल पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की मूंदी चोट एवं दांहिने हाथ के अंगूठे पर दांत से काटने के निशान थे जिसका आकार उपरी तरफ 2 गुणा 5 सेमी. त्वचा की गहराई तक था तथा निचले साईड में 1 गुणा 0.5 सेमी. त्वचा की गहराई तक था तथा निचले को आयी चोट क. 3 व 5 कड़े एवं बोथरे आबजेक्ट एवं चोट क. 4 दांत के काटने के द्वारा आना संभावित बताते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी—3) को प्रमाणित किया है।
- 9 डॉ. प्रवीण शुक्ला (अ.सा.—7) ने तहसील मुलताई में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहना एवं डॉ. आर.के. नाचनकर के साथ लगभग

दो वर्ष तक कार्य करने से उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परिचित होना बताया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 11.09.2008 को एमएलसी क. 236 आहत रामशंकर के एक्सरे रिपोर्ट में छाती के दांहिने साईड पांचवी पसली में अस्थिभंग था। साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी—9) पर डॉ. आर.के. नाचनकर के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी एस.एस. कुशवाह एवं फरियादी रामशंकर के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयाविध में एवं आहत के बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

- 10 मदन पवार (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 07.09.08 को थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 205/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल पर जाकर प्रार्थी रामशंकर की निशा देही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तथा उक्त दिनांक को ही गवाहों के समक्ष अभियुक्तगण अनिल एवं पंजाब सिंह को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—7 एवं प्रदर्श पी—8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 11 आर.सी. खातरकर (अ.सा.—8) ने दिनांक 06.09.08 को थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी रामशंकर का मेडिकल परीक्षण कराये जाने के उपरांत उसकी रिपोर्ट पर रोजनामचा सान्हा 150 (प्रदर्श पी—10) लेखबद्ध किया था तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 205/08 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—1) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- **12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। मात्र आहत के कथनों पर जिसके स्वयं के कथनों पर विरोधाभास है, अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में संजयसिंह (अ.सा.—3), लखन (अ.सा.—5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 वीरेंद्र सिंह (अ.सा.—4) यह भी प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी है। उपर्युक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह बताया है कि घटना के समय वह गांव के डोमा पाल के घर गणपित जी की आरती में आया था। बाहर हल्ला होने की आवाज आयी तो उसने देखा कि हेंडपंप के पास अभियुक्त एवं फरियादी की झूमा झटकी झगड़ा हो रहा था और उसने बीच बचाव किया था। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्तगण ने रामशंकर की मारपीट की थी और अभियुक्त अनिल ने दांत से काट दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने अभियुक्तगण को फरियादी को मारते हुए नहीं देखा था। मारपीट वाली घटना के समय वह मौके पर नहीं था। इस प्रकार साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है जिससे साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियोजन को इस साक्षी के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15 अभिलेख पर मात्र आहत रामशंकर की साक्ष्य उपलब्ध है। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनिसंह उर्फ हरभजनिसंह विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः फरियादी/आहत रामशंकर के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं?

16 रामशंकर (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घ । तने के समय घर से बाहर निकलकर गांव तरफ जा रहा था। तभी अभियुक्तगण मोटर सायिकल से आये। मोटर सायिकल अभियुक्त अनिल चला रहा था और अभियुक्त पंजाब पीछे बैठा हुआ था। अभियुक्त अनिल ने मोटर सायिकल से टक्कर मारी जिससे वह गिर गया। उसके बाद अभियुक्त अनिल और पंजाब लात घूसे, लाठी से उसके साथ मारपीट किये थे। अभियुक्त अनिल ने दांहिने हाथ के अंगूठे में काट दिया था। अभियुक्त पंजाब ने लाठी से बांयी आंख के पास मारा। अभियुक्त अनिल ने लाठी से दांहिने पैर में मारा। दोनों ही अभियुक्त ने पसली पर लात घूसों से मारा। अभियुक्त अनिल ने उसकी पसली में पैर रखा था। मारपीट से उसे दांयी आंख के पास, पसली और पैर में चोट आयी थी। घटना संजय, वीरेंद्र और लखन ने देखी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी। उसकी मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के

पैरा क. 15 में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने घटना दिनांक को ही अभियुक्त अनिल की पत्थर से मारपीट की थी और अभियुक्तगण के साथ झूमा झटकी की थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसे गिरने से चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 16 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना के समय बीच बचाव धनिसंह, दशराज और डोमा पाल ने किया था। स्वतः कहा कि वीरेंद्र, लखन और संजय ने बीच बचाव किया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि दांहिने हाथ के अंगूठे पर, पसली और पैर में चोट आयी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि दांहिने हाथ पर जो चोट आयी थी वह स्वयं द्वारा पहुंचायी गयी थी। स्वतः में कहा कि अभियुक्त अनिल द्वारा पहुंचायी गयी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा बनने के कारण उसने झूठी रिपोर्ट लिखायी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 19 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि मोटर सायिकल से जाते समय अभियुक्त पंजाबसिह के हाथ में लाठी नहीं थी। मुझे यह नहीं मालूम की पंजाबसिंह लाठी कहां से लेकर आया था।

वचाव अधिवक्ता का यह एक महत्वपूर्ण तर्क रहा है कि उभयपक्ष के मध्य जमीनी रंजिश है जिसके चलते अभियुक्तगण को फरियादी द्व ारा झूटा फंसाया गया है। साथ ही अपने तर्क के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श डी—4 प्रस्तुत किया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूटा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है।

18 फरियादी रामशंकर (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके भाई लालिसंह की पत्नी भागवंती के द्वारा अभियुक्त अनिल की पत्नी गुरजनबाई को जमीन बेच दिया था। इस सुझाव को सही बताया है कि भागवंती बाई ने जो जमीन अभियुक्त अनिल की पत्नी को बेचा था उसके संबंध में उसने दीवानी मामला मुलताई न्यायालय में डाला था। उक्त जमीन को लेकर अभियुक्त अनिल और गुरजनबाई के बीच में एसडीएम कोर्ट में भी मामला चला था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में यह सही बताया है कि इन्हीं मामलों को लेकर उसकी पत्नी उर्मिला, अभियुक्त अनिल तथा उसकी पत्नी गुरजनबाई के बीच में भारी रंजिश हो गयी थी और इसी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श डी—4 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य जमीनी रंजिश है परंतु

अभियुक्तगण द्वारा फरियादी रामशंकर की मारपीट किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में रंजिश से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

- वचाव अधिवक्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह है कि हाटना दिनांक को फरियादी रामशंकर एवं उसकी पत्नी के द्वारा अभियुक्तगण की मारपीट की गयी थी जिसके संबंध में उन्होंने फरियादी की रिपोर्ट की थी। उक्त रिपोर्ट से बचने के लिए फरियादी ने अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है। साथ ही अपने तर्क के समर्थन में बचाव अधिवक्ता के द्वारा बचाव में अभियुक्त पंजाबसिंह (ब.सा.—1) एवं साक्षी मौजीलाल पाल (ब.सा.—2) को परीक्षित कराया गया है एवं तर्क के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श डी—2, प्रदर्श डी—3 प्रस्तुत किया है।
- पंजाबसिंह (ब.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना 20 सुबह 10:30 बजे की है। वह और उसका भतीजा अनिल मोटर सायकिल में बैठकर मकान के कार्य के लिए सीमेंट लेने जा रहे थे। रास्ते में फरियादी रामशंकर मिला और रोककर पत्थर मारा। कुछ लोगों ने बचाव किया फिर वे सीमेंट लेने के लिए चले गये। जब वापस आये तब रामशंकर और उसकी पत्नी ने लकड़ी से उनके साथ मारपीट की। दोनों के द्वारा मारपीट करने से उसे एवं अनिल को चोटें आयी थीं। मौजीलाल, नत्थू और धनसिंह ने बीच बचाव किया था। उसने और अभियुक्त अनिल ने फरियादी की कोई मारपीट नहीं की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि खेती बाडी को लेकर अभियुक्त अनिल से फरियादी का विवाद चल रहा है। घटना के दिन वह मोटर सायकिल से सीमेंट लेने जा रहा था। इस सुझाव को गलत बताया है कि मोटर सायकिल से उतरकर उसने और अनिल ने फरियादी रामशंकर की मारपीट की। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त अनिल ने रामशंकर को दांहिने हाथ के अंगूठे में काट दिया था। मौजीलाल पाल (ब.सा.–2) ने अपने परीक्षण में बताया है कि वह अभियुक्तगण एवं फरियादी को जानता है। घटना सुबह 10 बजे की है। घटना के समय अभियक्तगण मोटर सायकिल से जा रहे थे, तभी रामशंकर और उसकी पत्नी ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। रामशंकर ने लाठी से और उसकी पत्नी उर्मिला ने पत्थर से मारा था। रामशंकर ने इसलिए मारपीट की थी कि उनकी अभियुक्तगण से जमीन को लेकर रंजिश चली आ रही है। उसने बीच बचाव किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसका मकान फरियादी के मकान से 20-25 फिट दूरी पर है। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने रामशंकर की मारपीट की थी। इस सुझाव को सही बताया है कि उभयपक्ष के बीच में रंजिश चली आ रही है।
- 21 पंजाब सिंह (ब.सा.-1) एवं मौजीलाल (ब.सा.-2) के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना के समय अभियुक्तगण मोटर सायकिल से

थे। यद्यपि बचाव साक्षी पंजाब सिंह ने यह बताया है कि फरियादी ने उसे एवं अभियुक्त अनिल को मारा था, उसके एवं अनिल के द्वारा फरियादी की कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार स्वयं बचाव साक्षी के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना के समय अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित थे। प्रकरण में मात्र यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण ने फरियादी की मारपीट कर उसे उपहित कारित की अथवा नहीं?

- 22 प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि इसी मामले का एक अन्य काउंटर प्रकरण भी फरियादी पक्ष पर था जिसमें निर्णय हो चुका है। साथ ही अपने तर्क के समर्थन में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2010 दस्तावेज (प्रदर्श डी—3) प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण से बचने हेतु फरियादी ने अभियुक्तगण की झूठी रिपोर्ट की है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श डी—3) एवं अभियोग पत्र (प्रदर्श डी—2) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि हस्तगत प्रकरण का एक अन्य काउंटर प्रकरण भी था किंतु वह प्रकरण निराकृत हो चुका है। बचाव पक्ष ने यह तर्क रखा है कि फरियादीगण ने उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने फरियादीगण की कोई मारपीट नहीं की। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह देखा जाना है कि दोनों प्रकरणों में कथित कृत्य अथवा अपराध का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था और अपराध हेतु अग्रसर पक्ष कौन था।
- अभियुक्तगण ने घटना के समय फरियादी एवं उसकी पत्नी के द्व 23 ारा मारपीट करने का बचाव का तर्क प्रकट किया है। साथ ही दस्तावेज प्रदर्श डी-3 एवं प्रदर्श डी-4 भी प्रस्तृत किये गये हैं। अभियुक्तगण ने यह बताया है कि घटना के समय वे मोटर सायकिल से जा रहे थे। फरियादी और उसकी पत्नी ने रोककर उनके साथ मारपीट की। जबकि इस प्रकरण में अभियोजन का यह मामला है कि अभियुक्तगण मोटर सायकिल से जा रहे थे। फरियादी को पीछे से टक्कर मारकर गिराया और इसके बाद अभियुक्तगण ने फरियादी की मारपीट की। अभियुक्तगण की ओर से दस्तावेज (प्रदर्श डी-2) जिसमें कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के विरूद्ध लेख करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी संलग्न है जिसके अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि घटना स्थल मौजीलाल पाल के घर के सामने का स्थान है तथा फरियादी रामशंकर ने अपने कथनों में यह बताया है कि घटना उसके घर के सामने की है। स्वतः में बताया है कि मौजीलाल का घर उसके घर के सामने है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि एक ही समय और स्थान पर अभियुक्तगण एवं फरियादी के बीच में विवाद हुआ। उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि दोनों में से कोई भी पक्ष अग्रेसर नहीं है और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विरूद्ध स्वतंत्र होकर हमला किया है जो उनकी खुली लड़ाई को दर्शित करता है। रामशंकर (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त अनिल के द्वारा

मोटर सायकिल से सामने से धक्का मारा जाना बताया है। साथ ही साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्तगण अनिल एवं पंजाब ने लात, घूसे, लाठी से उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त अनिल ने उसके दांहिने हाथ के अंगूठे पर काट दिया था। अभियुक्त पंजाब ने उसकी बांयी आंख के पास मारा। दोनों अभियुक्तगण ने पसली पर लात घूसों मारा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने पर पूर्णतः स्थिर है। साक्षी रामशंकर ने अभियुक्त अनिल के द्वारा उसके दांहिने हाथ के अंगूठे पर काटा जाना बताया है। आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में भी दांहिने हाथ के अंगूठे पर दांत से काटने के निशान पाये गये हैं। साक्षी अभियुक्त अनिल के द्वारा उसे दांहिने हाथ के अंगूठे पर काटे जाने पर भी अखंडित है। साक्षी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। अभियुक्तगण अनिल एवं पंजाब के द्वारा मारपीट किये जाने के कथन पर साक्षीं पूर्णतः अखंडित है। साक्षी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। इस प्रकार यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे घोर उपहति एवं अभियुक्त अनिल के द्वारा दांत से काटकर उपहति कारित की गयी।

प्रकरण में अभियुक्तगण एवं आहत के मध्य पूर्व से ही विवाद विद्य मान है। ऐसी स्थिति में सामान्य आशय निर्मित होने के लिए पूर्व के विचार मंथन की आवश्यकता नहीं है। घटना स्थल पर ही सामान्य आशय निर्मित किया जा सकता है। इस संबंध में **हीरालाल मलिक विरूद्ध बिहार राज्य (1977)** 4 एस.सी.सी. 44 में यह अवधारित किया गया है कि जब कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी अपराध कार्य में संलिप्त होते हैं तब यह निश्चित करना कठिन होता है कि किस अभियुक्त ने किस मात्रा में कितना अपराध किया है। कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में जब कोई कार्य किया जाता है तो हर सहभागी आन्वयिक उत्तरदायित्व में आलिप्त हो जाता है। वह सामान्य बुद्धि चेतना का व्यक्ति यही कहेगा कि यह कार्य प्यार दुलार का नहीं वरन उसको मारपीट करने का है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का आपराधिक कृत्य में किया गया योगदान सामान्य आशय का प्रवर्तन करना ही माना जायेगा। इसी प्रकार अभियुक्तगण लाठी, डंडा, लात घूसों से मारे जाने पर चोट आने के परिणाम को भली भांति जानते थे जो उनके स्वेच्छया कृत्य को एवं एक साथ आकर मारपीट करने के तथ्य में उनके सामान्य आशय को दर्शित करता है कि वे फरियादी के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाना चाहते थे।

विचारणीय प्रश्न क. 06 का निराकरण

25 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामशंकर को जान से मारने की धमकी देकर देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त अनिल ने फरियादी रामशंकर को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त अनिल एवं पंजाबराव ने फरियादी रामशंकर की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण अनिल एवं पंजाबराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त अनिल को धारा 324, 325/34 भा.दं.सं. एवं अभियुक्त पंजाबराव को धारा 325/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

26 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगत किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 27 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही परिवार के हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबिक विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर घोर उपहित कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दिण्डत किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 28 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 29 अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत

रखते हुए विचारोपरांत अभियुक्तगण अनिल एवं पंजाबसिंह को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है :--

नाम अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा करने की दशा में सश्रम कारावास
अनिल	324 भा.दं.सं.	06 माह	500 / —	15 दिवस
	325 / 34 भा. दं.सं.	एक वर्ष	500 / —	15 दिवस
पंजाबसिंह	325 / 34 भा. दं.सं.	एक वर्ष	500 / —	15 दिवस

30 मूल कारावास के समस्त दंड साथ—साथ भुगताये जाये।

- 31 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्तगण को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 32 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 1,00 / रूपये फरियादी रामशंकर पिता ज्ञानीसिंह रघुवंशी, निवासी माथनी, थाना बोरदेही, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 33 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)